



-प्रेस नोट-

दिनांक 11.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस मूठभेड़ में गौकशी के मुकदमें वांछित/फरार मुख्य आरोपी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाईकिल रजि0नं0- UP11BR9975 व 1850/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 10/11.02.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अम्बाला रोड़ बाहुपुर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस को चैकिंग करते देख तथा द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को रोकने व टोकने के पर संदिग्ध व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान कौसर पुत्र सुलेमान निवासी हाजी इकराम वाली गली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। घायल बदमाश/गौकश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार घायल गौकश थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2026 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व मु0अ0सं0- 68/2026 धारा 109(1) में वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार/घायल गौकश उपरोक्त के विरुद्ध जनपद में गौकशी, एनडीपीएस आदि जैसे लगभग आधे दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-71/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कौसर पुत्र सुलेमान निवासी हाजी इकराम वाली गली थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाईकिल रजि0नं0- UP11BR9975
- 1850/- रूपये नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 95/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 74/24 धारा 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0-64/2026 धारा 61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0- 68/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/37 आम्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0-71/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 ए एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 बलबीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. हैड का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1215 कपिल गौड़ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. हैड का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. कां0 1806 योगेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण **1.सलमान पुत्र दिलशाद निवासी मुजफ्फरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 5422/23 व मु0अ0सं0 119/21 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना फतेहपुर) जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) **2.आशु पुत्र अरविन्द कुमार निवासी मलायन थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 1382/25 व मु0अ0सं0 604/20 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम आशु चालानी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) को इनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सलमान पुत्र दिलशाद निवासी मुजफ्फरी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. आशु पुत्र अरविन्द निवासी मलायन थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।



दिनांक -11.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा नलकूप चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 03

शांतिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद

घटना का विवरण:-

- दिनांक 21.01.2026 को थाना सरसावा पर वादी मुकदमा चरण सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम भिक्कनपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की ट्यूबवैल से बिजली की मोटर चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 28/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2) बीएनएस का विलोपन कर धारा 305(ए) की वृद्धि की गयी।
- दिनांक 24.01.2026 को थाना सरसावा पर वादी मुकदमा अंकित शर्मा पुत्र उमेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम सुआखेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की ट्यूबवैल से बिजली की मोटर चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 29/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2) बीएनएस का विलोकन कर धारा 305(ए) की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 10.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.जोनी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.सिकन्दर उर्फ छोटू पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर 3.विकास उर्फ खलीफा पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को टोल प्लाजा से ग्राम भिक्कनपुर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 बिजली की मोटर बिना रोटर, 1.45 किलोग्राम ताँबे का तार व चोरी करने के उपकरण बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-जोनी पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
- 2- सिकन्दर उर्फ छोटू पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
- 3- विकास उर्फ खलीफा पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 बिजली की मोटर बिना रोटर
- 1.45 किलोग्राम ताँबे का तार

➤ चोरी करने के उपकरण

अभियुक्त जोनी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 461/21 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 476/21 धारा 307 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 477/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड जिला सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 75/2013 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त सिकन्दर उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 250/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 414/2018 धारा 13 जी एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
3. हे0का0 831 सोनू ढाका थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा सहारनपुर ।
5. है0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **नीरज चाणक्य पुत्र कुशलपाल निवासी बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 7167/24 व मु0अ0सं0 216/23 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय) को अभियुक्त के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नीरज चाणक्य पुत्र कुशलपाल निवासी बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 11-02-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.02.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त **दिलशाद पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित मु0अ0सं0 284/2007 वाद सं0 5825/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम) को मौ0 कस्साबान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

दिलशाद पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला कस्साबान थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 11.02.2026

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन करने वाले 01 ट्रक को किया सीज

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में आज दिनांक **11.02.2026** को चेकिंग के दौरान पठेड चैक पोस्ट पर 01 वाहन ट्रक (घोडा) रजि0 नं0- HR 58-C-4449 को पकडा गया पकड़े गए उक्त ट्रक के चालक द्वारा उपरोक्त ट्रक मे ओवरलोड खनन सामग्री भरकर परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन ट्रक को **सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।**

वाहनो का विवरण

(1) वाहन ट्रक (घोडा) रजि0 नं0- HR 58-C-4449

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 799 मोहित शर्मा, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

दिनांक: 11.02.2026



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही □

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले **01 शातिर नशा तस्कर**

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.02.2026 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त **फैजान उर्फ रूल्हा पुत्र जरीफ निवासी मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर** को गागरो नदी के पुल के आगे जंगल से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 75/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

फैजान उर्फ रूल्हा पुत्र जरीफ निवासी मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर।

अभियुक्त फैजान का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0- 35/2025 धारा- 305(ए)/317(2) बीएनएस व 3/5/8 गौ वध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
- मु0अ0सं0- 177/2025 धारा- 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
- का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.02.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक वारंटी/अभियुक्त **मनोज उर्फ काला पुत्र रतनलाल खटीक निवासी खटीक खटीको का मौ० निकट खटीको का कुआ थाना मण्डी सहारनपुर** (सम्बन्धित बाद संख्या 8018/25 धारा 279/338 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

मनोज उर्फ काला पुत्र रतनलाल खटीक निवासी खटीक खटीको का मौ० निकट खटीको का कुआ थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 753 अमरपाल सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक 11.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार,
कब्जे से कुल 22 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 4,40,000/- रु0) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **मोईन उर्फ मयूर पुत्र महबूब निवासी मौ0 गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती रोड से बिजली घर के बराबर से जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 87/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त मोईन उर्फ मयूर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोईन उर्फ मयूर पुत्र महबूब निवासी मौ0 गुज्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 22 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1013 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
4. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक 11.02.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार,
कब्जे से 20.17 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 4,00,000/- ₹0) व 700/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा गश्त व चौकियों के दौरान आज दिनांक 11.02.2026 को 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आवेश पुत्र सादा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को बिसलहेडा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 20.17 ग्राम अवैध स्मैक व 700 रुपये नगद बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 88/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त आवेश उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आवेश पुत्र सादा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 658/17 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नकुड सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 393/17 धारा 323/324/325/342/392/504/506 भादवि थाना गंगोह सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 20.17 ग्राम अवैध स्मैक
- 700 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
2. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
3. है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह सहारनपुर।



दिनांक: 11.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रायस में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.01.2026 को वादी मुकदमा हरवीर सिंह पुत्र कृष्ण सिंह ग्राम जखवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी व वादी के परिवारजनो के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0-25/2026 धारा 191(2)/352/115(2)/351(3)/117(2)/109(1)/331(6)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2029 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अजय उर्फ सोनू पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी जखवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को जखवाला से गिरफ्तार किया गया। निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त लाठी व सरिये बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय उर्फ सोनू पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी जखवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त लाठी व सरिये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 641 अरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 11.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 19.05.2018 को प्रभारी निरी० श्री दीपक चतुर्वेदी थाना कु०शेर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगणों 1.साबेज उर्फ मुन्ना पुत्र अफजाल नि० महवारो वाली गली हकाम शाह कालौनी थाना कु०शेर जनपद स०पुर 2.अहसान पुत्र आकिल नि० झण्डा वाली गली नं०-05 एकता कालौनी थाना कु०शेर जनपद स०पुर 3.अजीम पुत्र इस्लाम नि० गली नं०-25 हलवाई वाली मस्जिद चांद कालौनी थाना मण्डी जनपद स०पुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु०अ०स०-219/2018 धारा 2/3 गैंग० एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं०-230/2026 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **11.02.2026** को अभियुक्त साबेज उर्फ मुन्ना पुत्र अफजाल निवासी महवारो वाली गली हकाम शाह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु०अ०स०-219/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में **03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट:- अभियुक्त अहसान पुत्र आकिल निवासी झण्डा वाली गली नं०-05 एकता कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व अजीम पुत्र इस्लाम निवासी गली नं०-25 हलवाई वाली मस्जिद चांद कालौनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर का वाद माननीय न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता- (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज सिंह चौहान

विवेचक- निरीक्षक श्री यज्ञदत्त शर्मा

पैरोकार- का० 2563 नरेन्द्र कुमार थाना कु०शेर सहारनपुर



दिनांक: 11.02.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम चन्द्रपाल खेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 2777/25 मु0अ0सं0 106/23 धारा 380/427/411 भादवि सम्बन्धित न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) 2. दानिश पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला किला कस्बा व अम्बहैटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1770/21 मु0अ0सं0 283/21 धारा 307 भादवि सम्बन्धित न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) में थाना क्षेत्र नकुड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1-अमन पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम चन्द्रपाल खेडी थाना नकुड जिला सहारनपुर
- 2-दानिश पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला किला कस्बा व अम्बहैटापीर थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
- 2 उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
- 3.उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1924 प्रताप थाना नकुड जिला सहारनपुर
- 5- है0का0 320 तरुण कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
- 6- है0का0 1121 मतीन अहमद थाना नकुड जिला सहारनपुर



दिनांक- 11.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मिर्जापुर,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.02.2026 को 01 वारंटी अभियुक्त प्रवीण पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 2549/21, मु०अ०स० 172/20 धारा 60 आबकारी अधि० थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को अभियुक्त को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

प्रवीण पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम असगरपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ०नि० नरेन्द्र कुमार सागर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हे०का० 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक- 11.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2026 को मुकदमा वादिनी लाल्ली पत्नी अलीशान निवासी ग्राम महमूदपुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा विपक्षी लुकमान पुत्र अली हसन आदि निवासी गण ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के विरुद्ध वादिनी के पति अलीशान व जेठ/देवर आलिम , इरफान पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व लाठी डण्डो से प्रहार कर घायल कर देना एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 29/26 धारा 191(2)/109(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.02.2026 को अभियुक्त लुकमान पुत्र अली हसन निवासी ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को खुशहालपुर बस स्टैण्ड के पास से घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. लुकमान पुत्र अली हसन निवासी ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 लाठी घटना में प्रयुक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सागर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर